International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 11 Issue 2 Ser. II || February, 2022 || PP. 65-71

भारत में समतामूलक सामाजिक न्याय में नारी की प्रास्थिति : सम्भाव्य भविष्य

डॉ0 सीमा यादव
एसोसिएट प्रोफेसर, विभागाध्यक्षा
विधि विभाग
श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़

अमूर्त

समाज के अभिन्न अंग मानवीय प्राणित जगत में नर, नारी एवं उभय लिंगी को माना गया है, परन्तु उनकी प्रकृति के अनुकूलन में लिंग भेद किया गया है जो कि समतामूलक सामाजिक न्याय सिद्धान्त के सर्वदा प्रतिकूल है, जबकि भारतीय संविधान अपने प्राक्कथन समेत अनुच्छेद 14 से 18 में लिंगभेद, जातिभेद व धर्मविश्वासमत के आधार पर मानवीय प्राणित जगत में विभेदीकरण को मान्यता प्रदान नहीं करता है फिर भी भारत में समतामूलक सामाजिक न्याय में आधी आबादी के साथ असमानता के अवशेष, एक बड़ी बाधा के रूप में आज भी विद्यमान है, जिनकों उन्मूलित करने के लिये सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों को पुर्नजीवन करने हेतु सभी आयामों को अध्ययन कर, व्यवहारिक होने की अति आवश्यकता है। 'व्यष्टि से समष्टि' का निर्माण होता है इस समष्टि का वृहद रूप राष्ट्र होता है जिसकी उत्पत्ति/संगठन भावनात्मक स्वरूप के होते हैं:

भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वविद तपोदीक्षामुपनिषेदुरग्ते।
ततो राष्ट्रं जातं, तदस्मै देवा उपसनमन्तु।।

अर्थात् आत्मसुख प्राप्त ऋषियों ने लोक कल्याण की इच्छा का अनुगमन करते हुये सर्वहितेषिका के लिये नियमन किये जिससे राष्ट्र की उत्पत्ति हुई, उसी से राष्ट्रदेव अस्तित्व में आया जिसे समाज में वृहत रूप से मान्यता मिली, उक्त भावना को पुर्नजीवित कर, समता का संदेशक हमारा सामाजिक न्याय का वेद, हमारा भारतीय संविधान है, जिसने सामन्ती व्यवस्था का तिरस्कार करते हुये सामाजिक न्याय का ध्वजारोहण किया गया है।

भारत में जहाँ हमें सामन्ती व्यवस्था विरासतन मिली है, वहीं असमानता आधारित समाज का आधा भाग (नारी वर्ग) इस असमानता का दंश आदिकाल से झेलता आ रहा है। सामाजिक उत्कृष्ट महाकाव्य महाभारत के अध्याय–XIII श्लोक–262 में अनुदित अंश में ''नारी दासता की विभीषिका का संकेत के साथ उसके निदान के बावत नारी वर्ग की सामर्थ्य में ही निदान व्यवस्थित है'', का उल्लेख निम्नवत किया गया है :

''मानव मानव का दास बना उत्पीड़न की यह आदि कथा,
श्रमाभारित शोषित संतापित क्या कह सकता निज मनोव्यथा?
सन्तापक कब गिन पायेगा त्रस्त ह्रिदय स्पन्दन को
शोषित ही बस काट सके दासत्व जनित इस बन्धन को।।

प्रारम्भकीय :

संस्कृत वाग्ड़मय में समाज को ''सम्यक प्रकारेण बहुवाः जनः'' के रूप में परिभाषित किया गया है। सम्यक शब्द उस समूह का संकेत देता है जो कतिपय नियमों के पालन करते हुये सुव्यवस्थित ढंग से रहता हो, जिसकी पृष्ठभूमि विधि के रूप में मान्य सिद्धान्तों पर आधारित होती है। विधि एवं जीवन सहजीवी है, जीवन की वास्तविकताऐं विधि को तदनुरूप ढालती है। व्यष्टि से समष्टि का निर्माण होता है इस समष्टि का वृहद रूप राष्ट्र होता है, जिसकी उत्पत्ति/संगठन भावनात्मक होती है।

समाज के अभिन्न अंग मानवीय प्राणित जगत में नर, नारी एवं उभयलिंगी को माना गया है, परन्तु उसकी प्रकृति के अनुकूल में लिंग भेद किया गया है, जो सामाजिक न्याय सिद्धान्त के सर्वदा प्रतिकूल है।

भारतीय संविधान अपने प्राक्कथन समेत अनुच्छेद 14 से 18 में लिंगभेद, जातिभेद व धर्म विश्वासमत के आधार पर विभेद को मान्यता न देकर उसका विरोध करता है। अनुच्छेद 44 स्त्री और पुरुष सभी के लिये एक समान सिविल संहिता का प्रावधान प्रदान करता है साथ ही अनुच्छेद 51(क) में स्त्रियों के सम्मान के प्रति मूल कर्तव्य वर्णित है। फिर भी सामाजिक न्याय में बाधक असमानता के अवशेष अभी भी विद्यमान हैं, जिनको उन्मूलित करने के लिये सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों को पुर्नजीवित करना, समय की अपरिहार्य आवश्यकता है।

असमानता की सबसे बर्बर कड़ी और सामाजिक अन्याय को बढ़ावा देने वाला जन्म आधारित जातिवाद जब तक समाप्त नहीं हो जाता, सामाजिक न्याय का सिद्धान्त तब तक समग्र रूप में लागू नहीं किया जा सकता। आन्ध्र उच्च न्यायालय के तत्समय न्यायमूर्ति पी0ए0 चौधरी ने विधि व्याख्या ठीक ही दी है, जिसमें स्पष्टता से कहा है कि असमानता हमारे जीवन का आधार बन चुकी है'', जिसमें उर्ध्वगमन (Upward Mobility) से सदा इन्कार किया गया है और असमानता को जीवन का अभिन्न अंग बना दिया गया है। उनके अनुसार धार्मिक नेता जो पूर्व **कृषिदास** रहा, हो सकता

है और रोम का सम्राट पूर्वदास रहा, हो सकता है किन्तु भारत में व्यक्ति जिस जाति में पैदा होता है वह उसी जाति में मरता है, उसके ही साथ उसकी समस्त सद्गुण, योग्यताएँ एवं महत्वाकांक्षाऐं दफन हो जाती है।

महिला : आंग्ल भाषा के Wo + Man शब्द की व्युत्पत्ति दो शब्दों की संधि Wo + Man हुई है जिनका अर्थ क्रमशः रोक व मानव है अर्थात् जो मानव को दिग्भ्रमित होने, गलत काम करने से रोके, अर्थात उसकी माँ, बहिन (भगनी) या पत्नी के रूप में रोकती हो वही 'महिला' कहलाती है। नारी शब्द भी न + अरी के संयोजन से बना है कि जिसका अर्थ है कि महिला पुरूष की दुश्मन नहीं होती बल्कि सहयोगिनी है। हिन्दू धर्म शास्त्र में महिला को अर्धांगिनी की संज्ञा दी गयी है। स्त्री पुरूष की अपराधिक गतिविधियों की दृष्टि से विधि में व्यक्ति (Person) का प्रयोग किया गया है, जिसमें पुरूष के साथ महिला का भी समावेश है (S.10 & 11 of IPC)। अरस्तू के अनुसार ''महिलायें भावात्मक होती है पुरूष तर्कशील होते हैं'' लेकिन सिक्सथ सेन्स महिलाओं में उसकी नैसर्गिक शारीरिक व मानसिक संरचना के अनुरूप होता है इसका जीता जागता उदाहरण है शकुन्तला देवी जिन्हें चलता फिरता Computer कहा जाता है, जो कितनी ही बड़ी संख्या का योग क्षणभर में करने की योग्यता रखती है, यह उनकी VI^{th} Sense का ही कमाल है।

नारी की प्रास्थिति : सामाजिक अन्याय से पीड़ित नारी अब तक अबला की भूमिका में ही रही है। उसके हितार्थ बने कानून पूर्णरूपेण लागू करने के लिये समाज को उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है यथा घरेलू हिंसा निवारण का वर्तमान कानून लागू करने में पुरूष प्रधान समाज ही नहीं वरन् राज्य कर्णिकाओं में लगे पुरूषकर्मी भी हिचकिचाते हैं और महिलाओं के अदालत में जाने को हेय दृष्टि से देखा जाता है अन्याय पीड़िता को समाज में अपनी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने से अवरोधित किया जाता है जिससे उन पर किये जाने वाले अत्याचारों को प्रोत्साहन मिलता है और नारीवर्ग अपने अधिकारों को प्रवर्तित करने से विरत रह जाता है जबकि उनके हितों में बने कानून मात्र विधि पुस्तकों और विचार विमर्शों तक ही सीमित रह जाते हैं।

नारी वर्ग की स्थिति के सम्बन्ध में सामाजिक न्याय की दृष्टि से अच्छी नहीं कही जा सकती उसे पूर्ववत् मिली मान्यता ''कुलधर्मपत्नी'' के बन्धनों से मुक्त नहीं किया जा सकता, सामाजिक न्याय का विचार उसके लिये मृगमरिचिकावत बना रहता है यथा नारी को पुरानी विचारधारा के अन्तर्गत निम्न छः श्रेणियों में कार्यरत रखने तक सीमित कर दिया गया है –

''कार्येषुदासी, कर्णेषुमन्त्री, रूप्येषु लक्ष्मी, क्षमयादात्रि,
भोज्येषु माता, शयनेषु रम्भा, षठकर्मयुक्त, कुलधर्मपत्नी।''

परन्तु आज की महिला रूढ़िवादी मान्यता को तोड़ते हुये सभी क्षेत्रों में पुरूषों से बढ़कर साहसिक कार्यों में उनकी अगुवाई करती प्रतीत होती है। उद्यमिता में वह पुरूषों का सहयोग ही नहीं उनके बिना भी वह ग्रहणी के अलावा अग्रणी भूमिका में प्रविष्टि दर्ज करा चुकी है। महर्षि चाणक्य ने भी पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं में कई गुना सहनशीलता व साहस बताया है तथा आज के युग में वह समय–समय पर समाज में इसका बखूबी प्रदर्शन भी दे रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है उनके हित व सुरक्षा हेतु समय–समय पर अधिनियमन होते रहे हैं यथा घरेलू हिंसा अधिनियम तथा कार्य स्थलों पर सुरक्षात्मक व्यवस्था के कानून भी संसद में बनाने हेतु प्रस्तावित हैं, परन्तु उनके हित में बनाये जाने वाले कानून सामाजिक न्याय की अपेक्षाओं की कितनी पूर्ति कर पायेंगे यह एक विचारणीय विषय है, इसमें कानून के यथार्थ में लागू करने के लिये प्रवर्तन कर्णिकायें किस सीमा तक सफल हुयी हैं, इस पर राज्य शासन प्रशासन के सभी अंग न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के समन्वित प्रयासों तथा समाज के बदलते दृष्टिपूर्ण सफलता का आंकलन स्वयं नारी वर्ग ही कर सकता है।

उद्यमशीलता : उद्यमिताः Enterprenurship भी क्रमशः प्रवेश व साहसिक कार्यों के लिये प्रयुक्त होता है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को मात्र षटकर्मों तक ही सीमित रखा गया है–परन्तु आज की महिला रूढ़िवादी मान्यता को तोड़ते हुये सभी क्षेत्रों में पुरूषों से बढ़कर साहसिक कार्यों में उनकी अगुवाई करती हुई प्रतीत होती हैं। उद्यमिता में वह पुरूषों का सहयोग ही नहीं उनके बिना भी वह गृहणी के अतिरिक्त अग्रिणी भूमिका में प्रविष्टि दर्ज करा चुकी है। महर्षि चाणक्य ने भी पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं में कई गुना अधिक साहस बताया है।

सामाजिक सुरक्षा : समाज को संस्कृत वाग्ड़मय में ''सम्यक प्रकारेण बहुवा जनः'' के रूप में परिभाषित किया गया है 'जन' शब्द में 'व्यक्ति' (Person) की भावना के रूप में 'स्त्री–पुरूष' दोनों ही आते हैं। त्रिदेव में 'शिव' 'शक्ति' बिना 'शव' मात्र रह जाते हैं इस स्थिति से बचने के लिये अर्द्धनारीश्वर (एक दूसरे के पूरक) उन्हें माना गया है। समाज में नारी को अबला मानकर उसके संरक्षण की व्यवस्था आदिकाल से ही की जाती रही है, हिन्दू विधिदाता आदि मनु ने नारी की स्वतन्त्रता पर रोक लगाते हुए वर्णित किया है कि ''बाल्यावस्था'' में उसे पिता के संरक्षण, 'युवावस्था' में पति तथा 'वृद्धावस्था' में पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिये, नारी कभी 'स्वतन्त्र' नहीं हो सकती, परन्तु आज की नारी अब अबला नहीं सबला है। वस्तुतः यह मानवीय स्वभाव है कि मानव प्राकृतिक रूप में यथावत नहीं रहना चाहता बल्कि कुछ न कुछ कर दिखाने में ही उसे सन्तुष्टी मिलती है, महिला वर्ग उसका अपवाद नहीं। सामान्य गृह उद्योगों से लेकर वायुयान चालक, सैन्य कर्मी तथा अर्द्ध सैनिक बलों में महिलायें पुरूषों से पीछे नहीं है वहीं उद्यमिता में भी वे सिक्का जमा चुकी है। फिर भी नैसर्गिक संरचना के कारण उन्हें पुरूषों के सहयोग की आकांक्षा रहती है जिसमें उनकी सामाजिक सुरक्षा का भाव परिलक्षित होता है। नारी ''वीरभोग्या वसुन्धरा'' कहलाती है, को सामाजिक सुरक्षा देना पुरूष का स्वधर्म हो जाता है तथा तभी 'मातृत्व' सामाजिक रूप से सुरक्षित रह सकता है।

समस्यायें : नारी अब चूल्हा चाकी या घर की चाहरदीवारी से बाहर निकल चुकी है हर नये कार्य में कुछ न कुछ अवरोध आते रहते हैं जो कभी–कभी समस्या का रूप भी ले लेते हैं। मुख्य अवरोध निम्नवत् है :–

1) पुरूषमानसिकता : पुरूष प्रधान युग में नारी के प्रति पुरूष की मानसिकता एक गम्भीर समस्या बन चुकी है। नारी को हीन–भाव से देखना एक आम बात हो गयी है यह परम्परा लम्बे अर्से से चली आ रही है। दार्शनिक अरस्तू को भी वैवाहिक जीवन के सिलसिले में कहना पड़ा ''हर हालत में पुरूषों को शादी करनी ही चाहिये यदि अच्छी पत्नी मिल गयी तो जो जीवन सुखमय होगा परन्तु कर्कशा मिलने पर व्यक्ति दार्शनिक बन जायेगा।'' वहीं यह भी कहा गया है कि पत्नी वह छुरी है जो जीवन को काटती है, पत्नी अपने पति की साख कभी–कभी दॉव पर भी लगा सकती है आदि। उक्त किवदन्तियों से ही परिलक्षित है कि पुरूष हमेशा महिला को अपने से कमतर ही आंकते हैं।

समाज महिलाओं को उनकी पहचान न देकर यह देखता है कि महिला विशेष का संरक्षक पिता, भाई अथवा पति कौन है? जब तक कि महिला को अपनी पहचान नहीं दी जायेगी, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा के कोई भी प्रयास सफल नहीं कहे जा सकते। जितने भी समाज कल्याण के विधियन हैं, उनमें महिलाओं की सहभागिता और विकास की सम्भावना के पीछे पुरूष प्रधान समाज का अपना स्वार्थ निहित रहता प्रतीत होता है। महिलाओं को उसका अभिष्ट लाभ शायद ही मिल पाता है।

2) लिंगभेद : वैसे तो प्राकृतिक रूप में मानवीय प्राणी तीन प्रकार के होते हैं पुरूष, स्त्री एवं उभयलिंगी पर भारतीय संविधान में समता का अधिकार मूलाधिकारों में आता है फिर भी बराबरी का दर्जा व्यवहारिक रूप से महिला वर्ग को नहीं मिल पाता कुछ तो त्यौहार ही मात्र महिलाओं के लिये बने हैं यथा करवाचौथ जो पुरूष की दीर्घायु की कामना के लिये मनाये जाते हैं पर ऐसा कोई त्यौहार नहीं जो महिलाओं की दीर्घायु के लिये अनन्यता से आशयित हो। महिलाओं को लिंगसाम्यता (Gender equality) का आधार व्यवहारिक रूप से नहीं मिल पा रहा है। एक देश में महिलाकर्मी का लिंग परिवर्तन करवाने से सेवाच्युत कर दिया गया, ऐसा करने वाले यह लोग भूल जाते हैं कि एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने का, पर्वतारोही सर एडमण्ड हिलैरी का रिकॉर्ड बछेन्दीपाल व सन्तोष यादव जैसी वीरांगनाओं ने ही तोड़ा था।

3) भेदभाव : कामकाजी महिलाओं व पुरूषों में विभेद किया जा रहा है। महिला कर्मियों की अपेक्षा पुरूष कर्मियों को कार्य समय में अन्तर एवं कार्यस्थल के वातावरण में स्वच्छता और पारितोषिक भी अधिक मिलता है। महिलायें उनके मुकाबले सुख सुविधायें कम ही पाती हैं, वहीं उनका शारीरिक व मानसिक शोषण भी अधिक होता है। पारिवारिक अर्थतन्त्र पर पुरूष वर्ग का ही आधिपत्य रहता है जबकि श्रम का सर्वाधिक भार महिलाओं को ही वहन करना पड़ता है। महिलाओं मे इस बावत जागरूकता लाना, उन्हें अपने अधिकरों के प्रति सचेत करना ही उनके कल्याण का सबल लक्ष्य और प्रयोजन हो सकता है।

कामकाजी महिलाओं का आर्थिक व कार्यस्थल पर किया जा रहा भावनात्मक व शारीरिक शोषण कदाचित नियन्त्रित किया जा सके तो महिलायें अपने को स्वतन्त्र समझते हुये अपना विकास स्वयं कर सकती हैं क्योंकि अधिकार का जादू मिट्टी को स्वर्ण में आसानी से बदल सकता है।

4) वित्तीय संसाधन : वर्तमान युग अर्थ प्रधान है और 'अर्थस्य पुरूषों दास' की कहावत ''सर्वोगुणः वाचनम....'' आज भी बहुतायत से व्यवहारिकता पा रहा है। महिलायें चूंकि कम संख्या में वेतनभोगी हैं व व्यापारिक क्रियाकलापों में कम समय लगाती है अतः वित्तीय संसाधन जुटाना अपने हाथों में लेना चाहें, तो उन्हें पारिवारिक बन्धनों, प्रथाओं आदि कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, हालांकि स्वतन्त्रता के बाद स्त्रियों को वेतन एवं काम के घंटों में पुरूषों के समान ही अधिकार प्राप्त होने से विभिन्न उद्योगों में उनकी संख्या बढ़ी है। मध्यम वर्ग की स्त्रियों ने भी शिक्षा प्राप्त करके अनेक क्षेत्रों की ओर बढ़ना आरम्भ कर दिया है। साथ ही कई महिलायें घर के कूड़ा–करकट, पुरानी वस्तुओं से सृजनात्मक वस्तुओं का निर्माण, कुटीर उद्योगों यथा पापड़, अचार आदि निर्माण, पारम्परिक वस्तुओं का निर्माण आदि से अपने हस्तकौशल व साहस से बड़ी उद्यमिता में प्रवेश कर चुकी हैं।

सम्भाव्य भविष्य :

भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वविद तपोदीक्षामुपनिषेदुरगते
ततो राष्ट्रं जातं, तदस्मै देवा उपसनमन्तु।।

अर्थात आत्म सुख प्राप्त ऋषियों ने लोक कल्याण की इच्छा करते हुये प्रारम्भ में तप का अनुष्ठान किया तथा दीक्षा ग्रहण की, तप से प्रेषित दीक्षा का अनुकरण करते हुये सर्वहितेषिका के लिये अनेकों नियम बनाये, जिससे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण हुआ तथा समाज के वृहद रूप में 'राष्ट्र' को मान्यता मिली। उक्त निर्माण भी सिर्फ पुरुषों से ही नही वरन् महिला वर्ग की साझेदारी से सम्भव हो सका है।

किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक, विधिक, सामाजिक व आर्थिक हित की व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है जिसके अन्तर्गत उसकी जनता शासित होती है अर्थात देश के संविधान को आधार विधि (मानक) कहा जा सकता है, जो उसकी राज्य व्यवस्था के मूल सिद्धान्तों जिसमें समतामूलक सामाजिक न्याय अर्थात जनता की विशिष्ट व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था एवं आकांक्षाओं, पर आधारित होता है। सदियों की दासत्वता का दंश झेलने के पश्चात स्वतन्त्र भारत को एक उत्कृष्ट संविधान मिला है। महिलाओं के समतामूलक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने में विधायिका द्वारा पारित महत्वपूर्ण अधिनियमों का संक्षिप्त उल्लेख निम्नवत् है –

क्र0सं0	अधिनियम	प्रावधान
1.	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	समान कार्य के लिए महिलाओं को भी पुरूषों के समान पारिश्रमिक की व्यवस्था
2.	कारखाना अधिनियम, 1948	महिलाश्रमिकों की सुरक्षा हेतु विशेष प्रावधान
3.	मजदूरी भुगतान अधिनियम,	नियोजक स्त्री–पुरूष सभी श्रमिकों को न्यूनतम

	1936	निर्धारित मजदूरी अनिवार्य रूप से भुगतान करेगा।
4.	बगान अधिनियम, 1960	महिला श्रमिकों की सुरक्षा हेतु विशेष प्रावधान चिकित्सा सुविधा, साप्ताहिक अवकाश, शिशु गृहों की व्यवस्था।
5.	खान अधिनियम, 1952	भूमिगत खानों में महिलाओं के नियोजन पर रोक
6.	औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946	महिला कर्मियों को यौन उत्पीडन से संरक्षण
7.	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947	महिला कर्मियों को यौन उत्पीड़न से संरक्षण
8.	बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966	शिशु गृहों की अनिवार्य व्यवस्था, अन्य सुविधाएं
9.	भवन व अन्य निर्माण कर्मकार (विनियमन व रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1996	कामगार कल्याण बोर्ड के एक महिला सदस्य, अनिवार्यता शिशु गृह एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ
10.	ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970	महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु समुचित व्यवस्था।
11.	बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976	बंधुआ स्त्री–पुरूष मजदूरों को गुलामी से छुटकारा।
12.	अन्तर–राज्यीय प्रवासी मजदूर अधिनियम, 1976	महिला कर्मियों के लिए शिशु गृह, आवास सुविधा, स्नानागार, शौचालय, मूत्रालय, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य सुविधाएं
13.	मातृत्व प्रलाभ संशोधन अधिनियम 2017	पूर्ण वेतन पर मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह के स्थान पर 26 सप्ताह

राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उन समस्याओं के निवारण का प्रयास तो किया गया, किन्तु कानून के सही प्रवर्तन में बाधायें पड़ती रही है और नारी वर्ग को उनका अभीष्ट आज तक नहीं मिल पाया और व्यवहारिक दृष्टि से इस अन्याय से वे आज भी व्यथित व पीड़ित है। उनके अपने साहस, लगन, बुद्धिबल एवं प्रबल इच्छा शक्ति से उनका भविष्य उज्जवल है। उन्हें आवश्यकता है मात्र उचित शिक्षा व मार्गदर्शन की जो देश का बुद्धिजीवी वर्ग ही उन्हें सुलभ करा सकता है तथा कानूनों के लागू करने के साथ उनके अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति में वास्तविक सफलता की आपूर्ति के लिये अनुगणन प्रक्रिया का मूल्यांकन समय–समय पर होता रहे तो नारी हितेषिता के अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है तथा सामाजिक न्याय का पुर्नजागरण सही मायने में तभी हो सकता है।

न्यायिक सक्रियता : संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या व संरक्षा का दायित्व न्यायालय को प्रदान किया गया है। प्रदत्त विधायनों की व्याख्या का समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों द्वारा नारी समतूलक प्रावधानों को लागू करवाने में 'न्यायिक सक्रियता' अति आवश्यक है। 22 अगस्त 2017 को सायरा बानो बनाम भारत संघ वाद में तलाक ए विद्दत की अमानवीय इस्लामिक प्रथा जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला की गरिमा व समानता के लिये अपमानजनक थी, को उच्चतम न्यायालय के पांच विद्वान न्यायधीशों की खण्डपीठ ने ''इस्लामिक प्रथा'' को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 12, 21 व 25 का उल्लंघन मानते हुये ''असंवैधानिक'' घोषित किया। सन्दर्भित निर्णय से कई धर्मों में प्रचलित ''धार्मिक हठधर्मिता'' के सूक्ष्म विश्लेषण से 'लैंगिक समानता' के आन्दोलन को नई दिशा मिली है तथा उक्त वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा तीन तलाक अर्थात 'तलाक ए बिद्दत' को अपास्त (Set Aside) करते हुये असंवैधानिक करार देना, न्यायिक सक्रियता का परिचय देता है तथा सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने का जीता जागता उदाहरण है। हिन्दू स्त्री को साम्पश्विंक (सहदायिक) का दर्जा देना तथा स्त्रीधन व नारी सम्पदा को एकीकृत कर सम्पूर्ण चल, अचल सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार प्रदान करना, सामाजिक न्याय की ओर उन्मुखता, न्यायिक संस्थानों द्वारा समय–समय दिशा निर्देश आदेशित करना, उन्नतिशील समाज हेतु उत्कृष्ट प्रयास हैं। विशाका बनाम राजस्थान राज्य, वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा महिला कामगारों के शारीरिक शोषण (यौन उत्पीड़न) के लिये मार्गदर्शन दिये गये तथा कामकाजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पारित किया गया। साथ ही घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 का समय–समय पर यथा स्थान संशोधित कर लागू करना, नारी की प्रास्थिति में सुधार का विधिक दृष्टि से सुधारात्मक प्रयास अति प्रशंसनीय है।

- सुचित्रा श्रीवास्तव बनाम चण्डीगढ़ प्रशासन वाद में उच्चतम न्यायालय ने नारी की शारीरिक व मानसिक रक्षा को परिभाषित करते हुये अभिनिर्धारित किया है कि हर महिला को प्रजनन विकल्प तय करने का अधिकार है कि ''गर्भावस्था को पूर्ण अवधि में ले जाना है या भ्रूण को निरस्त करना है एवं वह यौन क्रिया को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतन्त्र है।'' इस निर्णय ने संविधान के अनुच्छेद 21 में ''शारीरिक अखण्डता'' का नया आयाम जोड़ा है।
- जोसफ श्राइन बनाम भारत संघ के बाद में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 497 की संवैधानिक वैधता को अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत चुनौती इस आधार पर दी गयी थी कि उक्त धारा 'लैंगिक भेदभाव'' को दर्शाती है क्योंक धारा

497 के अन्तर्गत पुरूष द्वारा किया गया 'व्याभिचार' अपराध है, महिलाओं द्वारा नहीं अतः इस धारा में ''लैंगिक तटस्थ'' कानूनों की अवधारणा नहीं होने के कारण ''महिला की गरिमा'' को क्षति पहुँच रही है। माननीय न्यायाधीशों ने संज्ञान ले अवधारित किया कि ''ऐसे प्रावधान जो महिलाओं को पुरूष के अधीन रखते हैं, ''विवाह'' में या अन्यथा, ''समानता'' को आगे बढ़ाने के लिये समाप्त किये जाने चाहिये, ''साथ ही माननीय न्यायधीशों ने न्यायिक सक्रियता का परिचय देते हुये अभिनिर्धारित किया कि पति अपनी पत्नी का मालिक नहीं है'' यानि पत्नी उसकी जागीर नहीं है बल्कि 'जीवन संगिनी' होती है तथा उसे भी अपना जीवन स्वच्छन्दता के साथ गरिमा से जीने का अधिकार है एवं अपना जीवक चुनने के लिए पूर्णरूपेण स्वतन्त्र है अतः महिलाओं को अपना जीवक (Career) चुनाव का अधिकार परिवार और समाज दे सके तो यह उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रेरक प्रयास होगा।

- एक अन्य वाद लीला बनाम केरल राज्य में 'सामाजिक कल्याण' की भावना की उन्नति हेतु न्यायालय द्वारा कहा गया कि कोई भी विधि जो महिलाओं के 'सामाजिक कल्याण' के सम्बन्ध में कार्य करती है तो वह विधि संविधान के भाग–III का उल्लंघन नहीं हो सकती। उक्त वाद में एक महिला की ''पारिवारिक प्रतिबद्धता'' को मान्यता देते हुये शीर्ष अदालत ने महिला पुलिसकर्मी तथा परिचारिकाओं को रात की पाली में ड्यूटी न आवंटित करने का आदेश दिया, साथ ही सरकार को निर्देशित किया कि महिलाओं की गरिमा की रक्षा हेतु जनसामान्य में जागरूकता/संगोष्ठी आयोजित कर, सरकार द्वारा हर संभव सकारात्मक कदम उठाये जाये।
- महिलाओं को पूजा अर्चना हेतु मन्दिर में प्रवेश वर्जित करने सम्बन्धी प्रसिद्ध 'सावरीमाला' वाद में पाँच महिला अधिवक्ताओं के समूह ने केरल हिन्दू लोक पूजा स्थल (प्रवेश का प्राधिकरण) नियम 1965 के नियम 3(बी) जो ''मासिक धर्म की उम्र'' की महिलाओं को मन्दिर प्रांगण में प्रवेश प्रतिबन्धित करता है, को चुनौती दी गयी थी कि यह प्रतिबन्ध संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 17 के प्रतिकूल होने के अतिरिक्त सावरीमाला मन्दिर में 10 से 50 वर्ष उम्र तक की महिलाओं के प्रवेश वर्जित करने की 'प्रथा' महिलाओं के 'प्राकृतिक स्वरूप' को कलंकित करती है। उच्चतम न्यायालय के पाँच न्यायमूत्रियों की खण्डपीठ ने ऐतिहासिक फैसला देते हुये वर्णित किया कि ''जो नियम पुरूष पर लागू होता है वह महिला पर भी लागू होता है, एक बार जब जनता के लिये मन्दिर खोल दिया जाता है तो कोई भी जा सकता है तथा एक महिला का 'प्रार्थना' करने का अधिकार किसी कानून पर निर्भर नहीं है बल्कि उसका ''संवैधानिक अधिकार'' है।
- समतामूलक सामाजिक न्याय में नारी की प्रास्थिति की सम्भाव्यता में सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में, सूचना आदान–प्रदान द्वारा 'महिला प्रताड़ना' सम्बन्धित प्रसिद्ध वाद का उल्लेख करना अतिआवश्यक है, भारत में 'साइबर उत्पीड़न' से सम्बन्धित सुहास कट्टी बनाम तमिलनाडू राज्य वाद देश का पहला 'साइबर उत्पीड़न' वाद है जिसने भारतीय कानून व्यवस्था के इतिहास में एक ट्रेडमार्क स्थान हासिल कर लिया है उक्त वाद में आरोपी पीड़िता का पारिवारिक मित्र था और पीड़िता से शादी करना चाहता था किन्तु पीड़िता ने मना कर अन्य व्यक्ति से शादी कर ली तथा उस व्यक्ति से पीड़िता का विवाह विच्छेद भी हो गया। आरोपी ने पुनः पीड़िता के समक्ष प्रस्ताव रखा, पीड़िता के इन्कार करने पर पीड़िता की प्रतिष्ठा के विपरीत अश्लील व मानहानिकारक संदेश पोस्ट कर पीड़िता की छवि को समाज में दूषित करने का दुष्प्रचार किया साथ ही आरोपी ने उसके द्वारा खोले फर्जी ईमेल आई0डी0 जो कि पीड़िता के नाम से था, पीड़िता को अग्रसारित कर फर्जी काल इस आशय से प्रसारित किये कि पीड़िता लैंगिक संभोग के लिये याचना कर आरोपी को आमन्त्रित कर रही है। इन प्रताड़नाओं से तंग होकर पीड़िता ने साहसिक कदम उठाते हुये आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी, प्राथमिकी दर्ज होने के सात महीने के भीतर आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 509 (शब्द, हावभाव या कार्य जिसका उद्देश्य महिला की लज्जा का अपमान करना), 469 (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से जालसाजी) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 (इलैक्ट्रानिक रूप में स्पष्ट यौन कृत्य आदि सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिये दण्ड) के अन्तर्गत दण्डित कर न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि 'महिला की गरिमा' के प्रतिकूल अश्लील सामग्री, अपमान जनक शब्द, अनैतिक वकतव्य प्रचारित व प्रसारित करना, अति शर्मनाक कृत्य है, तथा महिलाओं को विभिन्न अस्वास्थ्यकर टिप्पणियों से बचाने के लिये इस तरह के कृत्यों को पूर्णरूपेण प्रतिबन्धित करना चाहिये तथा किसी भी व्यक्ति को महिला की 'प्रतिष्ठा' व 'चरित्र' को नुकसान पहुंचाकर अश्लील संदेश भेजने और महिला का 'शीलभंग' करने के प्रयास के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है।

सम्भाव्यता? : पुनश्च गृहकार्यों, को बिना किसी पारितोष के महिलाओं से कराया जाता है उसका मूल्याकंन कर, कामकाजी गृह कार्यों में दक्ष महिलाओं को उचित अनुतोष मिलना ही चाहिये, जिससे उनकी अधिक समृद्धी बढ़ेगी और वे पूर्ण अधिकारिता से अच्छे जीवन का रसास्वादन कर सकेगी। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित आंकड़ों के आधार पर भी विश्व का 2/3 कार्य महिलाओं द्वारा सम्पादित होता है पर उन्हें विश्व अर्थव्यवस्था का मात्र 10 प्रतिशत लाभ ही मिल जाता है और उत्पादन के मात्र 1 प्रतिशत का हिस्सा उनकी मिल्कियत बन पाया है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सन् 2000 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आये हैं तकनीकी प्रगति हुई है जिससे महिलाओं का श्रम बाजार में कद बढा हैः विश्व स्तर पर महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों के हनन का दंश झेलना पड़ रहा है, महिलायें उच्च गति व कौशलता से काम करने के बावजूद कम वेतन पाती है। कार्य कुशलता के श्रेय से भी वंचित कर दी जाती हैं। चाहें वह सामान्य वस्त्र व्यापार हो या निर्यात प्रक्रिया में भी फैक्ट्री के श्रमसाध्य कार्य के लिये महिलायें निम्न वेतन पर ही नियोजित की जाती है, जिनमें 90 प्रतिशत महिलायें प्रायः अशिक्षित होती हैं। उनके आवास गन्दे व अस्वास्थ्यकर होते हैं इससे प्रतीत होता है कि अन्याय सहना उनकी नियति ही बन चुकी है।

अन्त में यह कहना अयुक्त न होगा कि पुरूष प्रधान समाज ने अपनी आधे से अधिक आबादी (नारी वर्ग) को समानता देने के बजाय महिला वर्ग को घिसी–पिटी रूढ़ियों, पुरानी नैतिकता को बढ़ावा दें उसे चूल्हे–चाकी आदि घरेलू

कार्यों तक सीमित रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, साथ ही उसके कथित आदर्शों की अन्तिम परिधि निर्धारित भी कर दी है। साहिर लुधियानवी ने इस परिधि की दुखान्त सीमा को निम्न शेर से इजहार किया है –

''यह पुण्य है क्या, यह पाप है क्या, रीतियों पर धर्म की मुहरे हैं,
युग युग से बदलती रस्मों को कैसे आदर्श बनाओगे ?''

उपसंहार : संक्षेप में नर एवं नारी मानवीय दृष्टि के अभिन्न कारक हैं, दोनों के सहकार से उत्पन्न मानवीय काया प्रकृति की महानतम देन है। मानवीय प्रजाति के तीन प्रकार हैं, नर, नारी व उभयलिंगी परन्तु प्रमुखता की दृष्टि से प्रथम दो ही रह जाते हैं। समाज ''सम्यक प्रकारेण बहुवाजनः'' का समूह प्रकृति ने नर–नारी की शारीरिक रचना में भिन्नता दी है परन्तु यह विषमता नैसर्गिक है।

समाज की सम्यकता के लिये बनाये गये नियम मानवीय रचना है जो विधि के रूप में समाज द्वारा मान्य है इसका ब्रहद रूप संविधान है जिसके अनुरूप ही समस्त विधियां होती हैं। भारतीय संविधान में लिंग, जाति अथवा पंथ के आधार पर मानवीय प्रजाति में भेदभाव निषिद्ध है। कोई विधि इस विभेदकारी प्रथा को अन्जाम नहीं दे सकती, पर स्वयं मनुष्य ही, इस पुरूष प्रधान समाज में महिला वर्ग के साथ, उन्हें हेय मानकर अन्याय करता आ रहा है, तथा 'मातृशक्ति' का अनादर कर हर क्षेत्र में नारी वर्ग को द्वितीय श्रेणी में रखना चाहता है जबकि महिला वर्ग ने न केवल गृहकार्य बल्कि जीवक के क्षेत्र में यथा सेवा योजन, व्यवसाय, खेलकूद यहां तक कि सैन्य क्षेत्र शिक्षा, तकनीकी, पर्वतारोहण आदि कार्य स्थलों एवं श्रम साध्यता क्षेत्रों में पुरूषों से अधिक दक्षता प्रदर्शित की है। कार्य स्थलों, श्रम साध्यता क्षेत्रों में पुरूषों से वे आगे रही हैं तथा अस्वास्थ्यकर वातावरण में भी उन्होंने कार्य कर पुरूषों से अच्छा प्रदर्शन दिया है पर उन्हें उनके श्रम का पारितोषिक पुरूषों के समान नहीं मिल पाया है। समाज कल्याण के क्षेत्र में उनकी सहभागिता को कम ही मूल्यांकित किया जाता रहा है, समाज का एक वर्ग (पुरूष) उनके लिये अवरोध/समस्यायें पैदा करता आ रहा है। राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उन समस्याओं के निवारण का प्रयास तो किया जा रहा है किन्तु कानून के सही प्रवर्तन में बाधायें पड़ती रहीं हैं और महिला वर्ग को उनका पूर्ण अभीष्ट उन्हें आज तक नहीं मिल पाया है, व्यवहारिक दृष्टि से नारी वर्ग इस अन्याय से आज भी व्यथित व पीड़ित है। उनके अपने साहस, लगन, बुद्धिबल एवं प्रबल इच्छा शक्ति से उनका भविष्य उज्ज्वल है, उन्हें आवश्यकता है मात्र उचित शिक्षा, सहयोग व मार्गदर्शन की जो देश का बुद्धिजीवी वर्ग ही उन्हें सुलभ करा सकता है।

यह भी एक कटु सत्य है कि धरातल पर ''समतामूलक न्याय'' महिलावर्ग के लिये आज मात्र मृगमरिचिकावत रह गया है। संवैधानिक प्रत्याभूतियॉ कागजी आश्वासन बन कर रह गयी हैं, महिला वर्ग द्वारा ही अपने अभीष्ट अधिकारों के प्रति जागरूकता व उन्हें प्राप्त करने की सकल विविक्षा ही अन्तिम सम्बल शेष बचा है। सामाजिक न्याय के उत्कृष्ट महाकाव्य महाभारत के उल्लेखानुसार भी ''महिला दासत्व व उनके निवारण की शक्ति'', महिला वर्ग को स्वयं ही अपने चरित्र की प्रमाणिकता द्वारा संचित करनी होगी। महाभारत का निम्न उद्‌बोधन प्रकाशपुंज बनकर उसके मार्ग को प्रशस्त कर सकता है :

''मानव मानव का दास बना उत्पीड़न की यह आदि कथा
श्रमभारित शोषित संतापित क्या कह सकता निज मनोव्यथा?
सन्तापक कब गिन पायेगा त्रस्त ह्रदय स्पन्दन को,
शोषित ही बस काट सके दासत्व जनित इस बन्धन को।।''

<u>सन्दर्भित–सूची</u>

विद्वान लेखकों एवं विधिज्ञों को उनके कार्यों के लिये कोटिशः आभार जिनकी ओजस्वपूर्ण लेखनी ने मुझे सन्दर्भित पत्र लेखन के लिये प्रेरित किया :–

1. अथर्वेद – अध्याय 19, श्लोक–41 : 1
2. महाभारत – अध्याय 13, श्लोक 262
3. चतुर्वेदी त्रिलोकनाथ – मनुस्मृति
4. भारतीय संविधान भाग–III, अनुच्छेद–14–18
5. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005
6. केसरी यू0पी0डी0–हिन्दू विधि, 2014
7. डा0 सुशीला यादव–कामकाजी महिलायें एवं कानून, 2017
8. बसंती लाल बाबेल–विवाह एवं तलाक विधि, 2017
9. विशाका बनाम राजस्थान राज्य : ए0आई0आर0 1997, एस0सी0 : 3011
10. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिबन्ध एवं परितोष) अधिनियम, 2013
11. डा0 एस0एन0 मिश्रा–भारतीय दण्ड संहिता, 2017
12. डा0 जय जय राम उपाध्याय : भारत का संविधान, 2020
13. लीला बनाम केरल राज्यः 2004 (O.P. No. 887, 2107, 77334 of 1993, 16017 of 1997)
14. जोजक श्राइन बनाम भारत संघ, 2018, एस0सी0 1676
15. तमिलनाडू राज्य बनाम सुहास कट्टी सी0सी0 नं0 4680/2004
16. सायरा बानो बनाम भारत संघ, ए0आई0आर0 1985, एस0सी0 945
17. इण्डियन यंग लायरस एसोसियेशन बनाम केरल राज्य, 2018 एस0सी0सी0 ऑनलाइन, एस0सी0 : 1690

18- http://www.legalbites.in
19- http://www.livelaw.in
20- http://feminismindindia.com